



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2161]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 5, 2019/आषाढ़ 14, 1941

No. 2161]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 5, 2019/ASHADHA 14, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2019

का.आ. 2383(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ.452 (अ), तारीख 16 मार्च, 2012 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 (नया रारा-731) के 11.500 कि.मी. से 134.700 कि.मी.(लखनऊ-सुल्तानपुर सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, समय समय पर यथा-संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" कहा गया है), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 (नया रारा-731) के लखनऊ - सुल्तानपुर सेक्शन के डिजाइन किलोमीटर 11.500 कि.मी. से 138.925 कि.मी. (विद्यमान 11.500 कि.मी. से 134.700 कि.मी.) के सड़क खंड की निवल लंबाई 94.598 कि.मी. और 1.730 कि.मी. की समकक्ष संरचना (जिनकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है) (समकक्ष लंबाई 0.173 कि.मी.) के चार या अधिक लेन के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनो पर नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर और बाइपासों जिनकी लंबाई 32.654 कि.मी. और लागत दस करोड़ रु. या अधिक है पर डेढ़ गुना के आधार दर से नीचे सारणी (1) के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के

वाहनों पर शुल्क उद्धृति करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संगृहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम०) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकर वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्धृति एवं संगृहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा:

सारणी-2		
शुल्क प्लाजाओं का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
उत्तरप्रदेश राज्य के बाराबंकी जिले में बारा गांव के निकट रारा-56 के 51.160 कि.मी.(डिजाइन) पर	69.075 कि.मी. (60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचनाओं को छोड़कर)	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
उत्तरप्रदेश राज्य के सुल्तानपुर जिले में असरोगा गांव के निकट रारा-56 के 127.370 कि.मी.(डिजाइन) पर	25.523 कि.मी. (10 करोड़ रूपए से अधिक लागत के बाइपास की लम्बाई को छोड़कर)	
कुल	94.598	

- 2 उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों), जिनकी लागत 10 करोड़ रूपए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की निवल लम्बाई हेतु, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

सारणी-3						
शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास का नाम	पर शुरू हो कर	पर मिलते हुए	बाइपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लम्बाई (कि.मी. में)	लागत(करोड़ रूपए में)	

उत्तरप्रदेश राज्य के सुल्तानपुर जिले में असरोगा गांव के निकट रारा-56 के 127.370 कि.मी.(डिजाइन) पर	जगदीशपुर बाइपास	डिजाइन कि.मी. 81.547	डिजाइन कि.मी. 100.125	18.578	295.90	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दर का 150%
	मुसाफिरखाना बाइपास	डिजाइन कि.मी. 106.750	डिजाइन कि.मी. 113.800	7.050	118.96	
	अलीगंज बाइपास	डिजाइन कि.मी. 118.107	डिजाइन कि.मी. 123.383	5.276	94.86	
	शबागंज और बदांउकलां बाइपास	डिजाइन कि.मी. 132.050	डिजाइन कि.मी. 133.800	1.750	31.35	
	कुल			32.654		

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

सारणी - 4			
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिसपर शुल्क संदेय है
उत्तरप्रदेश राज्य के बाराबंकी जिले में बारा गांव के 51.160 कि.मी.(डिजाइन) पर	0.173 *	1.73	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

*संरचनाओं (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली) का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम संख्या	चैनेज		संरचना का प्रकार	कुल लंबाई (कि.मी में)
	विद्यमान चैनेज	डिजाइन चैनेज		
1	31.530	31.610	लोनी नदी पर बडा पुल	0.0795
2	43.699	43.792	रोड ओवर ब्रिज	0.0935
कुल				0.173

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष **2019-20** के लिए मासिक पास की दर **265.00/-**रूपए (दो सौ पैंसठ रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, **2008** के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5		
संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	मान्यता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का **50%** होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के नियम 10 (1ए) के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, लूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम **12** के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष **2007-08** के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के **नियम 5** के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना के पूंजीगत लागत का वर्तमान मूल्य 3,485 करोड़ रुपए है। पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर **40%** कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फ़ा. सं. भाराराप्रा/13013/सीओ/ 530/18-19/जीसी/लखनऊ-सुल्तानपुर सेक्शन]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2019

S.O. 2383(E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways No. S.O. 452 (E) dated 16th March 2012 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 11.500 to km 134.700 (Lucknow-Sultanpur Section) of National Highway No. 56 (New NH-731) in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the “said Rules”), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 94.598 km. for the use of four and more lane section and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 1.730 km. (having length of 0.173 km.) and at one and one half times the base rate for bypasses having length of 32.654 km. costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of Lucknow-Sultanpur Section from design km. 11.500 to km. 138.925 (existing km. 11.500 to km. 134.700) of National Highway No. 56 (New NH-731) in the State of Uttar Pradesh and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:—

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza for the length specified for such Fee Plaza:

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Road Length (in km.) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At km 51.160 (Design) of NH-56 near village Bara Distt. Barabanki of Uttar Pradesh	69.075 km. [Excluding length of structures (>60m)]	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
At km 127.370 (Design) of NH-56 near village Asroga Distt. Sultanpur of Uttar Pradesh	25.523 km. [Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.)]	
Total	94.598	

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass(es) costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza(s) for net bypass(es) length specified for such Fee Plaza:

Location of Fee Plaza(s) (chainage)	Name of the Bypass	Taking off	Merging at	Length & Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At km 127.370 (Design) of NH-56 near village Asroga Distt. Sultanpur of Uttar Pradesh	Jagdishpur Bypass	Design km 81.547	Design km 100.125	18.578	295.90	150% the base rate mentioned in Table-1 above
	Musafirkhana Bypass	Design km 106.750	Design km 113.800	7.050	118.96	
	Aliganj Bypass	Design km 118.107	Design km 123.383	5.276	94.86	
	Shabaganj & Badaunkalan Bypass	Design km 132.050	Design km 133.800	1.750	31.35	
Total				32.654		

In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At km 51.160 (Design) near village Bara Distt. Barabanki of Uttar Pradesh.	0.173*	1.73	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

*The details of structures (> 60 m length) are as under:

	Chainage		Type of structure	Length (in km)
	Existing Chainage	Design Chainage		
1	31.530	31.610	Major Bridge on Loni River	0.0795
2	43.699	43.792	ROB	0.0935
Total				0.173

The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 265.00 (Rupees Two Hundred Sixty Five only) for the year 2019-20 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, as per Rule 10 (1A) of NH Fee Rule 2008 and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

10. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

11. The present value of capital cost of the project is Rupees 3,485 Crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/CO/530/18-19/GC/Lucknow-Sultanpur Section]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.